


फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-धोरीमन्ना

	दावता	बनाम	तुलना	
	जीसीएमएस संख्या	2022/305	किस्म मुकदमा	212 RLR Act
तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज			नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए/पावती
14.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा...11/3/25 को पेश हो।</p>			
11.03.25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा बिना जवाब प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र पर लीखे खर्च का निवेदन किया। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता ने दौरान खर्च उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में मूल वाद प्राथमिक डिस्क्रि किया जा चुका है। अतः मौका एवं रेकर्ड की मर्यादितता बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा जारी कर ऑफिसल फनक्शन करने का निवेदन किया। मैंने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की खर्च सुनी एवं पत्रावली में खर्च वस्तावेजों का खान प्रस्तुत अवलोकन किया। न्यायदित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने सहमती के हस्ताक्षर ऑटोग्राफ पर किये। अतः मौजा मीमबल पत्रावलीका मीमबल के खर्च सुनरा संख्या 442/6.9282 है, 454/0.0324 है, 455/0.4937 है, 459/0.1214 है, 460/8.0370 है, 460/2/16.8106 है।</p>			



फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-धोरीमन्ना

	दावता	बनाम	तुलछा
	जीसीएमएस संख्या		किरम मुकदमा
	2022/305		212 RTAct
तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए/पावती
	<p>कुल रकबा 32.4233 (200-06 बीघा) है। भूमि में वि.पार्श्वीगण, पार्श्वीगण के फर्जे काइत में किली प्रकार की हखलअंदाज न करे। मौके की प्रथा दिमाते खतामे रखने हेतु वि.पार्श्वीगण को अहकामी निषेधाज्ञासे पाबंद किया जाता है। हजान आदेश जारी है। हजान आदेश फूल वाड के फैसल होने तक ताफैदला कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर टाखिल दफतर है।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर SDO धोरीमन्ना</p>		